तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज **पंचायत निगरानी संख्या 05/2017 पोकरराम बनाम मोहनराम व अन्य**
13.09.2018	पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अभिभाषक ने दिनांक 03.04.2018 को उपस्थित होकर शपथ–पत्र पोकरराम, मोहनराम, पुरखाराम के पेश किये। इनकी एक–एक प्रति अप्रार्थी संख्या एक के अभिभाषक को भी उपलब्ध करवाई गयी। प्रस्तुत शपथ–पत्र में इन्होने जाहिर किया कि दिनांक 18.03.2018 को गांव में हमारे कुनबे की पंचायती हुई। जिसमें विवादग्रस्त भूखण्ड बाबत् आपसी राजीनामा हो गया है। प्रार्थी अभिभाषक ने प्रस्तुत पंचायत निगरानी में Not Preesed के जरिये विड्रोल किये जाने का निवेदन किया। उक्त प्रकरण में कुनबे की पंचायती अनुसार पट्टा संख्या 17 व 18 जो मोहनराम के नाम जारी किये गये तथा पट्टा संख्या 62 जो करनाराम के नाम जारी किया गया को विड्रो करना चाहते है। पट्टा संख्या 106 व 107 की पंचायत निगरानी को स्वीकार कर पट्टा निरस्त करवाना चाहते है। अतः प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर इस शर्त के साथ कि आवश्यकता पड़ने पर निगरानी पुनः पेश कर सके निगरानी विड्रो करने का आदेश करने का निवेदन किया। अप्रार्थी संख्या एक के अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा माननीय न्यायालय में कुल पाँच निगरानिया प्रस्तुत की है। उक्त निगरानियों में ग्राम पंचायत धवा द्वारा जारी आबादी भूमि का विक्रय विलेख पट्टा संख्या 17, 18, 62, 106 व 107 को निरस्त करवाने हेतु प्रस्तुत की गई थी। निगरानी विचाराधीन रहते प्रार्थी अभिभाषक ने शपथ–पत्र प्रस्तुत कर जाहिर किया कि पट्टा विलेख संख्या 17 व 18 जो मोहनराम के नाम जारी किया गया है एवं पट्टा संख्या 62 जो करनाराम के नाम से जारी किया गया। उक्त निगरानी विड्रो कराना चाहते है और पट्टा संख्या 106 व 107 को खारिज करने का उल्लेख किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पाँच निगरानियों में से तीन निगरानी 03/2017, 04/2017 व 05/2017 विड्रो करने का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा स्वच्छ हाथों से शपथ–पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया। प्रार्थी को चाहिए कि वह प्रस्तुत पाँचों निगरानिया विड्रो करें। प्रार्थी ने अपने शपथ–पत्र में यह गलत तथ्य अंकित किया है कि इस विवाद के निपटारे के लिए दिनांक 18.03.2018 को गांव में हमारे कुनबे की पंचायत हुई जबकि इस प्रकार की कोई पंचायत नहीं की गई। पोकरराम, मोहनराम व पुरखाराम मिलकर

13.09.2018	षड़यंत्र रच कर करणाराम से रूपये ऐंठना चाहते है तथा बहस में यह भी कहा कि प्रार्थी के अभिभाषक द्वारा झूठा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया जो न्यायालय का समय व्यतीत व न्यायालय को गुमराह कर रहे है। अतः प्रार्थी पर उचित कार्यवाही करने का निवेदन किया। हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। इस प्रकरण में प्रार्थी द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत कर प्रस्तुत निगरानी आवश्यकता पड़ने पर पुनः पेश करने की शर्त पर विड्रो किये जाने का निवेदन किया है। उक्त तीनों निगरानीया प्रार्थी पोकरराम ने अपने भाई श्री मोहनराम व करनाराम के विरूद्ध प्रस्तुत की है। इसके अलावा प्रार्थी पोकरराम ने पंचायत निगरानी संख्या 01/2017 तथा 02/2017 अपने भाई करनाराम तथा उसकी पत्नी समदुदेवी के विरूद्ध प्रस्तुत की है। प्रार्थी पोकरराम तीन निगरानियो क्रमशः 3/17, 4/17 व 5/17 को विड्रो करना चाहता है तथा पंचायत निगरानी संख्या 01/17 व 02/17 को यथावत रखना चाहता है। उक्त निगरानी को विड्रो करने का विरोध श्री करनाराम व उसकी पत्नी समदुदेवी द्वारा किया जा रहा है जिसकी निगरानी संख्या 01/2017 व 02/2017 प्रार्थी पोकरराम यथावत रखना चाहता है। सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 23 के नियम 1 के तहत दावे के प्रस्तुत करने के पश्चात् कभी भी प्रार्थी को अप्रार्थी के विरूद्ध दावा विड्रो करने का अधिकार है। उक्त प्रकरण में विवाद परिवार के मध्य है तथा प्रार्थी/निगरानीकर्ता पोकरराम अपने भाइयों के विरूद्ध निगरानी विड्रो करना चाहता है। **आदेश** अतः प्रार्थी पोकरराम का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी संख्या 03/17, 04/17 व 05/17 को विड्रो करने की अनुमति दी जाती है। निगरानी जरिये विड्रो खारिज की जाती है।